राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रंमाक पं. 2(1)कार्मिक / क–2 / 2014 / पार्ट जयपुर, दिनांकः 10.5.2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

विषयः–राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनथ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 नवगठित सेवाओं की वरिष्ठता सूची तैयार करनें के संबंध में।

राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 प्रवृत्त होने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के सभी राजसेवक अनुसूचित क्षेत्र की इन नवगठित सेवाओं के सदस्य हो गये हैं।

इसके पश्चात नवगठित सेवाओं नियमों के अन्तर्गत इस विभाग के परिपत्र दिनांक 12.5.15 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि उक्त नियम 2014 जारी होने के पश्चात् अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में लागू नियमों में शामिल पदनाम एवं सेवा के नाम अलग–अलग होगें और दोनो प्रकार के सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन एवं उनकी रिक्तियों का निर्धारण भी अलग–अलग होगा। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न पदों की भर्ती प्रकिया शुरू करनें से पूर्व सभी विभाग इन सभी सेवाओं का केडर विभाजन करते हुए दोनों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की गणना करते हुए निर्धारित प्रोफॉर्मा में सूचना इस विभाग को भिजवानें के निर्देश दिए गए थें। परन्तु उक्त निर्देशों की पालना में अभी तक किसी भी विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में सूचना इस विभाग को नहीं भिजवाई हैं। अतः समस्त विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना शीघ्र इस विभाग को भिजवावें।

इसके साथ ही नवगठित सेवाओं नियमों के अन्तर्गत विकल्प के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र के सदस्यों और गैर अनुसूचित क्षेत्र के सदस्यों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 12.5.2015 को दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसके साथ ही समस्त प्रशासनिक विभाग एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि इन सभी सेवाओं के सदस्यों की पदवार सूचियां एक माह में तैयार कर ली जावें तथा यथाशीघ्र इनका प्रकाशन वरिष्ठता सूची के रूप में कर दिया जावें। जिससे अनुसूचित क्षेत्र के राजसेवकों की उपलब्धता एवं वरिष्ठता को लेकर भविष्य में कोई भ्रम की स्थिति न रहे। इस सूची के बाद, सम्बन्धित पदों / सेवाओं में जो राजसेवक शेष रहेगे, उनकी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कर दिया जावे ताकि दोनों क्षेत्रों में पदोन्नति की प्रकिया यथाशीघ्र गति पकड सके।

इसी प्रकार शेष राजस्थान के जिन राजसेवकों ने अनुसूचित क्षेत्र में जानें का विकल्प दिया है, उनमें से कुछ का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र में किया जा चुका है, शेष का विहित प्रकिया से किया जाना है। ऐसे राजसेवकों को अनुसूचित क्षेत्र की सेवाओं का सदस्य मान्य करनें के लिए उक्त सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 2.11.15 जारी की जा चुकी है।

उक्त पृष्ठभूमि में सभी विभागों से यह अपेक्षा की गई थी कि अनुसूचित क्षेत्र की इन नवगठित सेवाओं की उक्त प्रकार के अर्थात पूर्व से मौजूद तथा स्थानान्तरण से आने वाले राजसेवकों को शामिल करते हुए पदवार एक वरिष्ठता सूची तैयार कर ली जावें। परन्तु वरिष्ठता सूची के संबंध में जारी निर्देशों के बावजूद भी अभी तक किसी विभाग के द्वारा वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध में सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः सभी विभागों को पुनः निम्न कार्यवाही तत्परता से संपादित करनें के निर्देश प्रदान किए जाते हैः–

1. विभाग की अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के स्वीकृत पदों का कैडर विभाजन कर, दोनों क्षेत्रों के लिए अलग–अलग स्वीकृत स्ट्रेन्थ संबंधी जारी आदेश की प्रति इस विभाग को भेजें।
2. स्वीकृत पदों के विरूद्व 1.4.2016 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों का चार्ट भेजे, जिसमें कुल संख्या में टी.एस.पी(एस.टी) एवं टी.एस.पी (एस.सी) की संख्या पृथक से दर्शायी जावें।
3. विभाग के कर्मचारियों से टी.एस.पी क्षेत्र की सेवा में रहने अथवा न रहने के संबंध में विकल्प पत्र मांगें जाने, एवं नॉन टी.एस.पी से टी.एस.पी में जाने का विकल्प देने वाले कार्मिकों को टी.एस.पी क्षेत्र में स्थानान्तरण करने की प्रगति/वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। यदि तत्संबंधी कोई कार्य अवशेष है, तो कारण भी दर्शावे।
4. दोनों क्षेत्रों में नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठता सूची पृथक–पृथक प्रकाशित करनें संबंधी प्रगति से अवगत करावें।
5. टी.एस.पी क्षेत्र में पदवार रिक्तियों की संख्या (1.4.2016 की स्थिति में) सूचित करें। यदि इन रिक्तियों के संबंध में चयन बोर्ड को कोई अर्थना भेजी हो, अथवा विभाग के स्तर पर रिक्तियॉ विज्ञापित की हों, तो उनकी प्रति भेजे। यदि यह कार्यवाही अभी तक भी नहीं की गई है, तो कारण भी दर्शावें।
6. बिना विकल्प पत्र के टी.एस.पी क्षेत्र से नॉन टी.एस.पी में तथा इसके विपरीत कोई भी स्थानान्तरण किया जाना निषिद्ध है। टी.एस.पी क्षेत्र में रहने का विकल्प चुनने वालों को टी.एस.पी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। क्या इस निर्देश की विभाग द्वारा सख्ती से पालना की जा रही है। यदि नहीं तो कारण दर्शावें।
7. टी.एस.पी क्षेत्र की सेवाओं का पृथक रोस्टर रजिस्टर संधारित करना था। इस प्रकार से संधारित रजिस्टर की फोटो प्रति भी भेजें।
8. यदि टी.एस.पी क्षेत्र हेतु पृथक से पदोन्नति समिति आयोजित कर पदोन्नतियॉ दी गई हो, तो उसका विवरण उपलब्ध करावें।

उक्त समस्त सूचना विशेष वाहक के साथ 31.5.2016 तक आवश्यक रूप से इस विभाग को प्रेषित करें।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. [illegible] सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

17/2016

circular - 32